न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, धोद जिला – सीकर

रामदयाल बनाम तहसीलदार धोद

किस्म मुकदमा 136 LR मु.नं. 66 वर्ष 2024

दिनांक	आज्ञा – पत्र
28.08.25	पत्रावली वास्ते आदेशार्थ पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। तहसीलदार, धोद के पत्रांकः भू.अ./2025/1519 दिनांक 29.07.2025 के द्वारा प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन वकील प्रार्थीगण ने कर मुताबिक रिपोर्ट के प्रार्थीगण का हस्तगत आवेदन स्वीकार कर दुरूस्ती करने का निवेदन किया। हस्तगत आवेदन का अवलोकन किया गया, जिसके अनुसार वकील प्रार्थी ने संक्षिप्ततः निवेदन किया है कि ''ग्राम लोसल छोटी पटवार हल्का लोसल छोटी तहसील धोद जिला सीकर के खाता सं. 29 व 30 के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदियों में प्रार्थीगण के पिता/पति के नाम की प्रविष्ठि गिरधारी पुत्र रामेश्वर दर्ज है, जो कि गलत है। जबकि प्रार्थीगण के पिता/पति के नाम की प्रविष्ठि गिरधारी उर्फ जगदीश प्रसाद पुत्र रामेश्वर है। अर्थात् प्रार्थीगण के पिता/पति का सही नाम जगदीश प्रसाद है। प्रार्थीगणों के नाम से बने सभी दस्तावेजात में प्रार्थीगणों के पिता/पति का नाम जगदीश प्रसाद अंकित है, जो की सही है। अतः उक्त वर्णित राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदियों में दर्ज प्रार्थीगण के पिता/पति के नाम की प्रविष्ठि गिरधारी पुत्र रामेश्वर के स्थान पर गिरधारी उर्फ जगदीश प्रसाद पुत्र रामेश्वर दुरूस्त किया जावें।'' प्रकरण में प्रार्थीगण के अनुतोष के संबंध में तहसीलदार से प्राप्त उक्त रिपोर्ट मय संलग्न दस्तावेजात आदि का अवलोकन किया। उक्त रिपोर्ट मुताबिक प्रार्थीगण के अनुतोष के अनुसार सही है। अतः वकील प्रार्थीगण का आवेदन तहसीलदार, धोद के पत्रांकः भू.अ./2025/1519 दिनांक 29.07.2025 के द्वारा प्राप्त रिपोर्ट व प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात आदि के आधार पर स्वीकार किया जाकर ग्राम लोसल छोटी पटवार हल्का लोसल छोटी तहसील धोद जिला सीकर के खाता सं. 29 व 30 के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदियों में प्रार्थीगण के पिता/पति के नाम की प्रविष्ठि गिरधारी पुत्र रामेश्वर के स्थान पर गिरधारी उर्फ जगदीश प्रसाद पुत्र रामेश्वर दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। पूर्व की प्रविष्टि से किसी तरह की सरकारी, गैर सरकारी बकाया एवं उत्तरदायित्व हो तो उसके निर्वहन एवं अदायगी के लिए संबंधित खातेदार/प्रार्थीपक्ष स्वयं जिम्मेदार होंगे। तहसीलदार, धोद की दुरूस्ती संबंधी रिपोर्ट आदेश का अभिन्न अंग रहेगी। प्रति तहसीलदार, धोद को लिखा जावें। आदेश सुनाया गया। पत्रावली नियमानुसार पूर्ण होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी, धोद जिला सीकर उपखण्ड अधिकारी धोद जिला-सीकर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.08.29 10:09:45 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जिला-सीकर (राज.)